ालय उपखण्ड अधिकारी..............

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह वाद योगेन्द्र S/o रामजी मीणा निवासी धीमाखुंट ने स्थगन आवेदन पत्र श्री नरेन्द्र कुमार मोहन ने उपस्थित होकर पेश किया बाद जांच वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस तामील जारी हो। पत्रावली दिनांक 20-6-2016 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
20.6.16	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट हाजिर। रेस्पो. 1 व 2 की तामील होकर प्राप्त। रेस्पो. 1 हाजिर नहीं उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22-6-16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 20.6.16 उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)	(हस्ताक्षर)
22-6-16	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट हाजिर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 11-7-16 को पेश हुई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट मोखावतीया. राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर (शिविर) मोखावतीया मे निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)	(हस्ताक्षर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिपेन्द्रसिंह राठौर, आर.ए.एस.

1. योगेन्द्र पिता रामजी भील जाति भील निवासी छापी तहसील बिच्छीवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
2. प्रभुलाल पिता हकरिया भील निवासी चरपोटिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत बक्तौड पंचायत समिति पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

रेस्पाडेन्ट्स

:—अपील अन्तर्गत धारा 75 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956—:

उपस्थितः—श्री नरेन्द्रसिंह चौहान,
अधिवक्ता अपीलांट्स

:—आदेश—:

1—यह कि हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अपीलांट्स द्वारा विरूद्व रेस्पाडेन्ट्स मुर्तिब कर पेश की । अपील मीमों में वर्णित इबारत का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने राजस्व ग्राम बक्तौड, पटवार मण्डल बोरी—पी, तहसील पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़ (राज.) अपील वर्णित खसरा नम्बर 1676, 1677 एवं 1678 रकबा क्रमशः 0.10है., 0.10है., एवं 0.62है. रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 30.03.2016 से क्रय की है । न्याय आपके द्वार के तहत् ग्राम पंचायत बक्तौड के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में ग्राम पंचायत बक्तौड द्वारा रजिस्टर्ड सेलडीड में बैचान कृषि भूमि के नामान्तरकरण संख्या 391 एवं 392 विवादित की संज्ञा देकर, बिना किसी जॉच के दिनांक 19.05.2016 को निरस्त कर दिये । ग्राम पंचायत ने प्रासंगिक नामान्तरकरणों के निरस्त करने से पूर्व ना तो सुनवाई के प्राकृतिक सिद्वान्त की पालना की और ना ही रजिस्टर्ड सेलडीड पर गौर किया । न्याय आपके द्वार के तहत् आयोजित शिविरों में पेश नामान्तरकरणों के सूनने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही था । अतः ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, प्रासंगिक नामान्तरकरणों को विवादित मानकर निरस्त कर दिया । अंततः अपीलांट्स द्वारा ग्राम पंचायत बक्तौड द्वारा प्रासंगिक नामान्तरकरणों पर पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर, निरस्त किये जाने और रजिस्टर्ड सेलडीड के आधार पर अपील वर्णित कृषि भूमियों के नामान्तरकरण अपलांट्स के पक्ष में खोले जाने की इस्तदूआ की ।

अपील बाद दर्ज रेस्पाडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया है । रेस्पाडेन्ट्स बाद तामील उपस्थित नही आए । अतः इनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा के आदेश प्रसारित किये गये । विद्वान वकील अपीलांट्स की बहस समायत की । विद्वान वकील अपीलांट्स की बहस मुताबिक अपील मीमों रही ।

हमने विद्वान वकील अपीलांट्स की बहस की सूना और पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपीलांट्स ने राजस्व ग्राम बक्तौड के खसरा नम्बर 1676, 1677 एवं 1678 रकबा क्रमशः 0.10है., 0.10है., एवं 0.62है. रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 30.03.2016 से क्रय की है । आक्षेपित नामान्तरकरणों पर आईएलआर और पटवारी बोरी—पी ने विवादित होने की कोई टिप्पणी नही की है । अपीलांट्स बहैसियत क्रेता है और विक्रयकर्ता ने जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड अपील वर्णित कृषि भूमियों को बैचान कर कब्जा कृषि भूमि हस्तान्तरित कर दिया है । नामान्तरकरण एक फिक्सल प्रोसिडींग है । जब विक्रय विलेख में बैचान की प्रतिफल राशि प्राप्त कर कृषि भूमियों का कब्जा अपीलांटस को हस्तान्तरित कर दिया है । कृषि भूमियों के

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ामान्तरकरण न्याय आपके द्वारा कैम्प ग्राम पंचायत बक्तौड में अस्वीकृत किया गया है । जबकि अभियान् ह दौरान् ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण के प्रकरणों के आदेश के कोई अधिकार नही है । नामान्तरकरण ी कार्यवाही तहसीलदार पीपलखूँट द्वारा की जानी थी । अतः ग्राम पंचायत का विवादित नामान्तरकरणों र पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

अतः उपरोक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है और ग्राम ायत का विवादित नामान्तरकरणों पर पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 अपास्त किया जाता है । सीलदार पीपलखूँट को आदेशित किया जाता है कि वे रजिस्टर्ड सेलडीड के आधार पर अपीलांटस के में नामान्तरकरण करने की नियमानुसार अजसरें कार्यवाही करें ।

(दिपेन्द्रसिंह राठौर)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़(राज.)

निर्णय आज दिनांक 11.07.2016 को लिखाया जाकर, मजमें आम बरोज राजस्व लोक अदालत ेर मोरवानिया में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़(राज.)

Scanned with OKEN Scanner